न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 281 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 389)

| वादीगण | बनाम प्रतिवादी |
|---|---|
| 1. जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर। | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:– 05.09.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 31.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 की कुल 1.847 हैक्टेयर भूमि में से 0.127 हैक्टर कृषि भूमि रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम से व 0.253 हैक्टेयर भूमि जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रूप सिंह के नाम से दर्ज 0.127 हैक्टेयर भूमि वादी की खरीद की हुई है। वादी के दादा द्वारा रजिस्ट्री करवाते समय वादी का नाम सहवन से रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दर्ज करवा दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह है। वादी के समस्त पहचान संबंधी राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैक खाता पासबुक आदि दस्तावेजो में वादी का नाम जगरूप सिंह अंकित है। वादी उक्त वर्णित खाता में रूप सिंह के स्थान पर अपना वास्तविक दस्तावेजी नाम रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह अंकित करवाना चाहता है। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में उक्त वर्णित भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने वास्तविक नाम की घोषणात्मक का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 में वर्णित नाम रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के स्थान पर रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5327 दिनांक 06.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 51 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32 में जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख के नाम 0.253 हैक्टेयर व रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख के नाम 0.127 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि जगरूप सिंह व रूप सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। वादी के द्वारा स्वंय का शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया जो सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

पत्र, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 में अंकित नाम रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के स्थान पर जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि जगरूप सिंह व रूप सिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार जगरूप सिंह व रूप सिंह एक ही आदमी के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 50 एफ रूपनगर के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

**-:आदेश:-**

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के स्थान पर रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**
**ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस.)

जगरूप सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नम्बर **281/2023**

**निर्णय दिनांक :- 31.10.2023**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार मण्डल लालबाई, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 32/06 में क्रम संख्या 7 पर अंकित नाम रूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के स्थान पर रूप सिंह उर्फ जगरूप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 31.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

**{सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | -- |
| **योग** | 04 | **00** | **योग** | **00** | **00** |

**{सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 31.10.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/538
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

**{सुभाष चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर